उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग–1

अधिसूचना

31 मार्च, 2005 ई0

सं0 1110/6-पु0-1-2005-1300 (7)-94–संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–**नियम-3 का संशोधन**–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3–परिभाषायें–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–	3–परिभाषायें–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) से है ;	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) से है ;
(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है ;	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी से है, और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है ;
(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;	(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;	(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;
(ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;	(ङ) ''पुलिस महानिदेशक'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है। ;
(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;	(च) ''पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) और अपर पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार)'' क्रमशः पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उत्तर प्रदेश से है।
(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;	(छ) ''पुलिस उप-महानिरीक्षक'' का तात्पर्य महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है।
(ज) ''सचिव'' का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है ;	(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;
(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है ;	(झ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;
(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्त न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;	(ट) ''पुलिस महानिरीक्षक'' का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार) उत्तर प्रदेश से है।
(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(ठ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;
	(ड) ''सचिव'' का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है ;
	(ढ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है ;
	(ण) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;
	(त) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

31

3–नियम-8 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8–शैक्षिक अर्हता—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो —	8–शैक्षिक अर्हताएं—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये निम्नलिखित अर्हताएं होना अनिवार्य है :—
कर्मशाला कर्मचारी—हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिये उपयोगी हो या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	कर्मशाला कर्मचारी—अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या किसी सरकारी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिये उपयोगी किसी व्यवसाय में प्रमाण-पत्र परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।
सहायक परिचालक—विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिनके पास किसी मान्यता-प्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण पत्र हो या जिन्हें बेतार प्रौद्योगिक अनुभव हो, अधिमान दिया जायेगा।	सहायक परिचालक—अभ्यर्थियों ने विज्ञान विषयों के साथ हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।
रेडियो स्टेशन अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी0 एस-सी0 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो अधिमान दिया जाएगा। बेतार प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक अनुभव भी एक अधिमानी अर्हता होगी।	रेडियो स्टेशन अधिकारी—अभ्यर्थी सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान और गणित सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि (बी0 एस-सी0) या इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रिकल / यांत्रिकी / कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / उपकरण प्रौद्योगिकी (इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलाजी) में स्नातक उपाधि (बी0 ई0/बी0 टेक0) आवश्यक रखता हो।
रेडियो अनुरक्षण अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी0 एस-सी0 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास रेडियो में डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी तकनीशियन का प्रमाण-पत्र हो या जो वृतिक संस्था का स्नातक सदस्य (ग्रेजुएट मेम्बरशिप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स) हो, अधिमान दिया जायेगा।	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी—अभ्यर्थी सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान और गणित सहित स्नातक उपाधि (बी0 एस-सी0) या इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रिकल / यांत्रिकी / कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / उपकरण प्रौद्योगिकी (इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलोजी) में स्नातक उपाधि (बी0 ई0/बी0 टेक0) आवश्यक रखता हो।

4–नियम-15 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15–(1) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :	15–(1) भर्ती की प्रक्रिया—विभिन्न पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे—
(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक के पद के लिए—	(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पद के लिए—
(एक) राज्य रेडियो अधिकारी।	(एक) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी,
(दो) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक,	(दो) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक,
(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी या उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट सहायक रेडियो अधिकारी।	(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर राज्य रेडियो अधिकारी या सहायक रेडियो अधिकारी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए—	(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए—
(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार),	(एक) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार),
(दो) राज्य रेडियो अधिकारी,	(दो) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी,
(तीन) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा से निम्न पद का न हो।	(तीन) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक/सेनानायक से निम्न पंक्ति का न हो,
	(चार) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर राज्य रेडियो अधिकारी।
(ग) रेडियो निरीक्षक के लिए—	(ग) रेडियो निरीक्षक के लिए—
(एक) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर पुलिस महानिरीक्षक,	(एक) पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (दूरसंचार),
(दो) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार),	(दो) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार),
(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी।	(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी।
(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाएगी जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यथाशक्य, रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतदपूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाएगी, जितनी वह आवश्यक समझे।	(2) उप-नियम-(1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति सभी आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और अग्रतर परीक्षाओं के लिये सभी पात्र अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार आमंत्रित करेगी :— (क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, रेडियो केन्द्र अधिकारी तथा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदों के लिये अलग-अलग प्रारम्भिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा 150 अंकों की होगी। (एक) कर्मशाला कर्मचारी के पद के लिये इसमें सामान्य हिन्दी और सामान्य ज्ञान विषय समाविष्ट होंगे। प्रश्न हाई स्कूल स्तर के होंगे। (दो) सहायक परिचालक, रेडियो केन्द्र अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिये प्रारम्भिक परीक्षा सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता की होगी। प्रश्न, पद के लिये अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होंगे।
(3) चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।	(ख) चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के नियम 6 में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए श्रेष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी। यह सूची वास्तविक रिक्तियों की दस गुनी होगी। बराबर अंक पाने वाले दो या अधिक अभ्यर्थी अग्रतर परीक्षाओं के लिये पात्र होंगे। (ग) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को एक शारीरिक स्वस्थता परीक्षा देनी होगी। यह शारीरिक स्वस्थता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त किये गए अंकों को अंतिम श्रेष्ठता में नहीं जोड़ा जायेगा। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा के विवरण इस नियमावली से संलग्न अनुलग्नक 'ख' में दिये गए हैं।

30

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(घ) अभ्यर्थी, जो शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के लिये आमंत्रित किये जाएंगे। विभिन्न पदों के लिये अर्थात् कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, रेडियो केन्द्र अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और अंकों का विवरण इस नियमावली से संलग्न, अनुलग्नक 'ख' के अनुसार होगा। इन मुख्य लिखित परीक्षाओं में प्रश्न, पद के लिए अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होंगे।

(ङ) चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के नियम-6 में दिये गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, श्रेष्ठता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों की एक सूची पुनः तैयार करेगी। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किये जाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या वास्तविक रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अधिक नहीं होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक पाने वाले दो या अधिक अभ्यर्थी भी साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किये जायेंगे।

(च) चयन समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के नियम-6 में दिये गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों की एक अन्तिम सूची तैयार करेगी। मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता के आधार पर अन्तिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(छ) खण्ड (च) के अधीन तैयार की गई अन्तिम सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, सक्षम चिकित्सा परिषद् द्वारा किये जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाएंगे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

5–अनुलग्नक का बढ़ाया जाना–उक्त नियमावली के अन्त में निम्नलिखित अनुलग्नकों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

अनुलग्नक 'क'

[नियम 15 (2) (ग) देखें]

शारीरिक स्वस्थता परीक्षा–सीधी भर्ती

क्रमांक	पुरुष अभ्यर्थी	निर्धारित मानदण्ड	महिला अभ्यर्थी	निर्धारित मानदण्ड
1	3 कि0 मी0 दौड़ व चाल	22 मिनट	200 मीटर दौड़	50 सेकेण्ड
2	क्रिकेट की गेंद फेंकना	50 मीटर	क्रिकेट की गेंद फेंकना	25 मीटर

मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक स्वस्थता परीक्षा के प्रत्येक मद में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अनुलग्नक 'ख'

[नियम 15 (2) (घ) देखें]

मुख्य लिखित परीक्षा–सीधी भर्ती

(क) कर्मशाला कर्मचारी—

लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे–

			समय
1–सामान्य हिन्दी	..	100 अंक	3 घंटा
2–सामान्य ज्ञान	..	80 अंक	
योग	..	180 अंक	
साक्षात्कार	..	20 अंक	
कुल योग	..	200 अंक	

(ख) सहायक परिचालक—

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्न-पत्र होंगे–

प्रथम प्रश्न-पत्र–सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान		(100 अंक)	3 घंटा
1–सामान्य हिन्दी	..	50 अंक	
2–सामान्य ज्ञान	..	50 अंक	
द्वितीय प्रश्न-पत्र–सामान्य विज्ञान एवं मानसिक क्षमता		(80 अंक)	3 घंटा
1–सामान्य विज्ञान	..	50 अंक	
2–मानसिक तर्क क्षमता (Mental Ability)	..	30 अंक	
योग	..	180 अंक	
साक्षात्कार	..	20 अंक	
कुल योग	..	200 अंक	

(ग) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी/रेडियो केन्द्र अधिकारी—

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्न-पत्र होंगे–

प्रथम प्रश्न-पत्र–सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान		(100 अंक)	3 घंटा
1–सामान्य हिन्दी	..	50 अंक	
2–सामान्य ज्ञान	..	50 अंक	
द्वितीय प्रश्न-पत्र–सामान्य विज्ञान एवं मानसिक तथा गणितीय तर्क क्षमता		(150 अंक)	3 घंटा
1–सामान्य विज्ञान		50 अंक	
2–मानसिक तर्क क्षमता (Mental Ability) व तर्क शक्ति (Logical Reasoning)	..	50 अंक	
3–गणितीय तर्क क्षमता (Mathematical Reasoning)	..	50 अंक	
योग	..	250 अंक	
साक्षात्कार	..	30 अंक	
कुल योग	..	280 अंक	

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1110/6-P-1-2005-1300 (7)-94, dated March 31, 2005:

No. 1110/6-P-1-2005-1300 (7)-94

March 31, 2005

In exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 (U. P. Act no. 40 of 1948), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982 :

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO ADHINASTH SEWA (SECOND AMENDMENT), NIYAMAWALI, 2005

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa (Second Amendment) Niyamawali, 2005.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule- 3.—In the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982 hereinafter referred to as the said Niyamawali, for the existing rule 3 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

Column I

Existing rule

भाग एक—सामान्य

3—परिभाषायें—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन् 1948) से है ;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड), सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है ;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के इस प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) 'सचिव', का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है ;

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है ;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

Column II

Rule as hereby substituted

Part I–GENERAL

3. Definitions.– In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) 'Act' means the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act no. XL of 1948) ;

(b) 'Appointing authority' means the State Radio Officer in respect of the posts of Workshop Hand, Assistant Operator and Head Operator and the Deputy Inspector General of Police (Telecommunication) in respect of the posts of Radio Station Officers, Radio Maintenance Officers and Radio Inspectors;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part II of the Constitution of India;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Director General of Police' means the Director General and Inspector General of Police, Uttar Pradesh ;

(f) 'Director General of Police Telecommunication and Additional Director General of Police Telecommunication' means the Director General of Police (Telecommunication) and Additional Director General of Police (Telecommunication), Uttar Pradesh respectively ;

(g) 'Deputy Inspector General of Police' means the Deputy Inspector General (Police Telecommunication);

(h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(i) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(j) 'Inspector General of Police' means the Inspector General of Police/Director (Telecommunication), Uttar Pradesh ;

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष व पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(k) 'Member of the Service' means a person appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules or of the Act, rules and orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service; (l) 'Secretary' means Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Home Department; (m) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Services; (n) 'Substantive Appointment' means an appointment not being an *ad hoc* appointment, to a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, and if there is no rule in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government ; (o) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing on the first day of July of a Calendar Year.

3. Amendment of rule 8.—In the said Niyamawali, for rule 8 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
नियम 8–शैक्षिक अर्हता—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो —	8. **Academic qualifications.**—The following qualification will be essential for direct recruitment to the various posts in the service.
कर्मशाला कर्मचारी—हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिये उपयोगी हो या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**Workshop Hand.**—Candidates must have passed High School Examination or an examination equivalent thereto or Certificate Examination in any trade useful for Police Radio Workshop from any Government Recognized Industrial Training Institute (I.T.I).
सहायक परिचालक—विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त रेडियो प्रोद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो या जिन्हें बेतार प्रोद्योगिक अनुभव हो, अधिमान दिया जायेगा।	**Assistant Operator.**—Candidates must have passed High School Examination or an examination equivalent thereto recognized by the Government with Science subjects.
रेडियो स्टेशन अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी0 एस-सी0 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त रेडियो प्रोद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो, अधिमान दिया जाएगा। बेतार प्रोद्योगिकी में व्यावहारिक अनुभव भी एक अधिमानी अर्हता होगी।	**Radio Station Officer.**—Candidates must posses Bachelor's Degree in Science (B.Sc.) with Physics and Mathematics or Bachelor's Degree (B.E./B.Tech.) in Electronics/ Electrical/Mechanical/Computer Science/Information Technology/Instrumental Technology from any University/Institute recognized by Government.

(23)

Column I

Existing rule

रेडियो अनुरक्षण अधिकारी—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी0 एस-सी0 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास रेडियो में डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी तकनीशियन का प्रमाण-पत्र हो या जो वृत्तिक संस्था का स्नातक सदस्य (ग्रेजुएट मेम्बरशिप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स) हो, अधिमान दिया जाएगा।

Column II

Rule as hereby substituted

Radio Maintenance Officer.—Candidates must posses Bachelor's Degree in Science (B.Sc.) with Physics and Mathematics or Bachelor's Degree (B.E./B.Tech.) in Electronics/ Electrical/ Mechanical/ Computer Science/Information Technology/Instrumental Technology from any University/Institute recognized by Government.

4. Amendment of rule 15—In the said Niyamawali, for rule 15 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I

Existing rule

नियम 15 (1)—विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक के पद के लिए—

(एक) राज्य रेडियो अधिकारी,

(दो) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक,

(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी या उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट सहायक रेडियो अधिकारी।

(ख) रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए—

(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)

(दो) राज्य रेडियो अधिकारी,

(तीन) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा से निम्न पद का न हो।

Column II

Rule as hereby substituted

15. (1) Procedure for recruitment—For the purpose of recruitment to various posts, a Selection Committee comprising following shall be constituted :—

(a) For the post of Workshop Hand, Assistant Operator and Head Operator—

(I) State Radio Officer (SRO), to be nominated by Director General of Police (Telecommunication).

(II) Superintendent of Police, to be nominated by Director General of Police, Uttar Pradesh.

(III) Additional State Radio Officer (Additonal SRO) or Assistant Radio Officer (ARO), to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).

(b) For the post of Radio Maintenance Officer and Radio Station Officer—

(I) Deputy Inspector General (Telecommunication), to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).

(II) State Radio Officer (SRO), to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).

(III) A Senior Police Officer not below the rank of Superintendent of Police/Commandant, to be nominated by the Director General of Police, Uttar Pradesh.

(IV) Additional State Radio Officer (Additonal SRO), to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).

Column I	Column II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(ग) रेडियो निरीक्षक के लिए—	(*c*) For the post of Radio Inspector :—
(एक) पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर पुलिस महानिरीक्षक,	(I) Inspector General of Police/Director (Telecommunication).
(दो) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार),	(II) Deputy Inspector General (Telecommunication) to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).
(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी।	(III) State Radio Officer (SRO) to be nominated by the Director General of Police (Telecommunication).
(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाएगी जो अपेक्षित अर्हताएँ रखते हों। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यथाशक्य, रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्याधिक हो तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतद्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाएगी, जितनी वह आवश्यक समझें।	(2) The Selection Committee constituted under sub-rule (1) will scrutinize all the application forms and call all eligible candidates for further examinations as under :— (*a*) A preliminary examination will be conducted separately for the post of Workshop Hand, Assistant Operator, Radio Station Officer and Radio Maintenance Officer, the preliminary examination will be of 150 Marks-- (i) For the post of Workshop Hand, it will consist of General Hindi and General Knowledge. The questions will be of High School Standard. (ii) For the post of Assistant Operator, Radio Station Officer and Radio Maintenance Officer, the preliminary examination will consist of the General Hindi, General Knowledge, General Science and Mental Ability. The standard of questions will be of the examination essential for the post.
(3) चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।	(*b*) The Selection Committee will prepare a list in order of merit subject to provisions contained in Rule 6 of the Uttar Pradesh Police Radio Adhinastha Sewa Niyamawali-1982. This list will be 10 times of actual vacancies. Two or more candidates securing equal marks will be eligible for further tests. (*c*) Candidates declared successful in preliminary examination will have to undergo a Physical fitness Examination. This Physical fitness examination will be of qualifying nature and marks obtained therein shall not be included in final merit. The details of this Physical fitness examination are given in Annexure "A" appended to these rules.

(27)

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
	(*d*) Candidates, who qualify Physical Fitness Examination will be called for Main Written Examination. The Syllabus and details of marks of Main Written Examination for different posts *viz.* Workshop Hand, Assistant Operator, Radio Station Officer and Radio Maintenance Officer shall be in accordance with the Annexture "B" appended to these rules. The standard of questions in these Main Written Examinations will be of examination essential for the post. (*e*) The Selection Committee will again prepare a list of successful candidates, in order of merit, keeping in view the provisions contained in rule-6 of the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982. Total candidates to be called for interview shall not be more than three times of actual vacancies. Two or more candidates securing equal marks in Main Written Examination will also be called for interview. (*f*) The Selection Committee will prepare a final list of candidates equivalent to vacancies subject to provision contained in rule-6 of Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982. This final merit list will be prepared on the basis of candidate's performance in Main Written Examination and Interview. (*g*) Candidates whose names mentioned in the final list prepared under clause (*f*) will have to undergo a Medical Test to be conducted by the Competent Medical Board. Such candidates as may be declared fit by the Medical Board will be eligible for appointment.

5. Insertion of Annexures--In the said Niyamavali the following annexures shall be inserted at the end, namely :—

Annexture—"A"
[See Rule-15 (2) (c)]
Physical Fitness Examination-Direct Recruitment

Sl. no.	MALE CANDIDATE	PRESCRIBED CRITERIA	FEMALE CANDIDATE	PRESCRIBED CRITERIA
1	3 K.M. Race and Walk	22 Minutes	200 meter Race	50 Seconds
2	Cricket Ball Throw	50 Meter	Cricket Ball Throw	25 Meter

For Main Written Examination candidate must pass in every item in the Physical Fitness Examination according to prescribed criteria.

Annexture–"B"

[See Rule-15 (2) (d)]

Main Written Examination-Direct Recruitment

(A) **WORKSHOP HAND**—The written examination will consist of the following subject in a question paper—

			Duration
1. General Hindi	–	100 Marks	3 Hours
2. General Knowledge	–	80 Marks	
Total	–	**180 Marks**	
Interview	–	**20 Marks**	
Grand Total	–	**200 Marks**	

(B) **ASSISTANT OPERATOR**—The written examination will consist of two following papers—

First Question paper—General Hindi and General Knowledge		(100 Marks)	3 Hours
1. General Hindi	–	50 Marks	
2. General Knowledge	–	50 Marks	
Second Question paper—General Science and Mental ability		(80 Marks)	3 Hours
1. General Science	–	50 Marks	
2. Mental ability	–	30 Marks	
Total	–	**180 Marks**	
Interview	–	**20 Marks**	
Grand Total	–	**200 Marks**	

(C) **RADIO MAINTENANCE OFFICER/RADIO STATION OFFICER**—The written examination will consist of two following papers—

First Question paper—General Hindi and General Knowledge		(100 Marks)	3 Hours
1. General Hindi	–	50 Marks	
2. General Knowledge	–	50 Marks	
Second Question paper—General Science, Mental ability and Mathematical Reasoning		(150 Marks)	3 Hours
1. General Science	–	50 Marks.	
2. Mental ability and Logical Reasoning	–	50 Marks	
3. Mathematical Reasoning	–	50 Marks	
Total	–	**250 Marks**	
Interview	–	**30 Marks**	
Grand Total	–	**280 Marks**	

By order,

ALOK SINHA,

Principal Secretary.

टिप्पणी--राजपत्र, दिनांक 30-04-2005, भाग 1-क में प्रकाशित ।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी०एस०यू०पी०--1 साठ गृह (पुलिस) --27-04-2005--200 (मोनो/डीटीपी०) ।